

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राउमावि/2018-19

दिनांक : 09.10.2019

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय)-माध्यमिक
जोधपुर।

विषय: राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय माता का थान, जोधपुर को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर में क्रमोन्नत करने के संबंध में।


प्रसंग: शासन का पत्रांक:- प0 4(6) शिक्षा-1/2019, जयपुर दिनांक: 09.10.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश की पालना में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय माता का थान, जोधपुर को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. विद्यालय क्रमोन्नयन सत्र 2019-20 से प्रभावी होगा।
2. स्वीकृति के वर्ष 2019-20 से सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. इस विद्यालय में कला संकाय स्वीकृत किया जाता है। कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये सम्वन्धित जि0शि0अ0 (मुख्यालय)-माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमोन्नत विद्यालय से कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी.- secondarydd2@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि तदनुसार कला संकाय के 3 ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।
4. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6:1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6:3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/ पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक जोधपुर विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, नगरीय निकाय क्षेत्र, वार्ड संख्या, जिला, यू-डाईस कोड, IFMS कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।

संलग्न-उपर्युक्तानुसार।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. संयुक्त सचिव(जीबी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान जयपुर।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जोधपुर।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, जोधपुर।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एवी/संस्थापन-सी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।



निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर